संख्या– 664 /क0नि0प्र0/26–3–2014–13(62)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर,2014

विषयः– अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के सर्वागीण विकास हेतु अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। ऐसे ग्राम समूहों, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का 25 प्रतिशत अथवा अधिक हो, में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता से व्यय किये जाने की व्यवस्था, प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में, आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है।

2– उक्त योजना का संचालन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशक,समाज कल्याण के माध्यम से शासन को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3– प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में निम्न प्रकार के कार्य कराये जायेगें:–

(1) **सम्पर्क मार्ग का निर्माणः–**

प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में निकट मुख्य मार्ग तक पहुंच हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा, जिससे दूर दराज स्थित ग्रामों की आबादी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

(2) **सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माणः–**

प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में स्वस्थ वातावरण हेतु सफाई व्यवस्था सुनिश्चित रहें, इसके दृष्टिगत ग्राम के अन्दर की गलियों में सी0सी0 रोड इण्टरलाकिंग के साथ ही जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जायेगा।

(3) **सोलर लाइट की व्यवस्थाः–**

प्रश्नगत योजना में चिन्हांकित ग्रामों में अनुसूचित जाति परिवारों के समूहों के मध्य सामूहिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर ऊर्जा तथा इससे सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें।

(4) **पेयजल व्यवस्था**

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए अभी भी इन अति पिछड़े अनुसूचित जाति की आबादी में काफी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। अतएव प्रस्तावित योजना में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की स्थापना के साथ–साथ विस्तृत प्लेटफार्म व जलनिकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए नाली का निर्माण कराया जायेगा।

(5) **सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापनाः–**

प्रश्नगत योजनान्तर्गत चिन्हित ग्रामों में जहां पर पूर्व से सामुदायिक कार्यक्रम हेतु सामुदायिक केन्द्र स्थापित नहीं है, वहां पर एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ग्राम सभा द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा। सामुदायिक केन्द्र का रखरखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के माध्यम से कराया जायेगा।

(6) **रोजगार उत्पादक कार्यक्रमः–**

रोजगार उत्पादक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं विकास, आटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट/बल्क मिल्क कूलर, दुग्ध उत्पादकों संबंधित डेरी की स्थापना इत्यादि कार्यक्रमों/परियोजनाओं का भी संचालन किया जायेगा। उपरोक्त कार्यक्रम/परियोजनाओं का संचालन जनपद स्तर पर दुग्ध विकास विभाग एवं पशुधन विकास विभाग से सीधा एवं नियमित समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा।

(7) **आवास निर्माणः–**

इन्दिरा आवास/लोहिया आवास के पैर्टन के आधार पर असेवित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

4– उक्त योजनान्तर्गत जनपद में जिन ग्रामों की कुल आबादी में से अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत या इससे अधिक हो, उन ग्रामों को चयनित किया जायेगा। ग्रामों के चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति की अधिक आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

5– योजनान्तर्गत प्रश्नगत अवस्थापना सुविधाओं से चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण के लिए यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि जनपद स्तर पर चयनित ग्राम किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से स्वीकृत नहीं किए गये हो और न ही प्रस्तावित हो। इस आशय का प्रमाण पत्र संगत आंगणन के साथ संबंधित जनपद के जिलाधिकारी स्तर से प्रदान किया जायेगा।

6– प्रश्नगत योजना में आंगणनों का गठन इस प्रकार से किया जायेगा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कम–से–कम लागत में अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी को लाभान्वित किया जा सके।

7– योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जिले स्तर पर कार्यरत प्रदेश की किसी शासकीय निर्माण इकाई से आंगणन गठित कराये जायेगें।

8– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिलिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप चयनित किये गये ग्रामों के विकास हेतु समुचित प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर निदेशक,समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

19.9.14

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 664 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त एवं नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक,समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
5– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्तावित योजना सम्बन्धी प्रारूप

जनपद का नामः .....

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल आबादी में से अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत	प्राक्कलन लागत	कार्य का नाम	प्राक्कलन तैयार करने वाले अधिकारी का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित